तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 133/2022 व 134/22	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.22	अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी रावत बिल्डिंग, बागर चौक, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2022 में उसके द्वारा (1) उपायुक्त, नगर निगम (उत्तर), जोधुपर द्वारा सुरेन्द्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, ओड राजपूत समाज संस्थान (रजि.) ओकारेश्वर महादेव मन्दिर, नया तालाब, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर, राज. को सम्बोधित पत्र क्रमांक 2022/214 दिनांक 05.04.2022 में उल्लेखित है कि ओड राजपूत समाज संस्थान द्वारा भूरी बेरी ग्राम बाघा खसरा संख्या 415 नाम 200*150 फुट भूमि श्मसान हेतु पट्टा जारी करने हेतु निवेदन करने पर पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट की गई है, की सत्यापित प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	